

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 322/2016
संस्थित दिनांक 28.05.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रू द्ध

कलीराम पिता सीताराम पाटील,
उम्र 26 वर्ष, निवासी खड़की

—अभियुक्त

अभियोजन द्वारा विद्वान ए.डी.पी.ओ. — श्री अकरम मंसूरी
--

अभियुक्त द्वारा विद्वान अभिभाषक — श्री के. एस. शेख
--

—: नि र्ण य :—

(आज दिनांक 19.06.2017 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 107/2016 के आधार पर दिनांक 13.05.2016 को दिन के 11:45 बजे शासकीय महाविद्यालय अंजड़ में अभियोजित जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किस करने का प्रयास कर, कमर पकड़कर यहां वहां हाथ लगाते हुए आपराधिक बल का प्रयोग करने के कारण भादवि की धारा 354 का आरोप है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.05.2016 को अभियोजित ने थाना अंजड़ पर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह धानमंडी अंजड़ में रहकर बी काम फस्टईयर की पढ़ाई शासकीय महाविद्यालय अंजड़ से कर रही है। आज दिनांक 13.05.2016 को 11:30 बजे वह कॉलेज गई थी, कॉलेज में उनके प्रोफेसर आरोपी कलीराम के पास सी सी के प्रश्न लेने गई थी, कॉलेज में आरोपी ने उसे उपर कमरे में बुलाया, तो वह वहां गई उस समय आरोपी कमरे में अकेले थे, आरोपी ने बोला यही पर बैठ कर प्रश्न नोट कर लो तो वह वहां पर बैठ कर प्रश्न नोट करने लगी उस समय आरोपी उसके आसपास चक्कर लगाने लगे और उसके पीछे से आकर उसे बुरी नियत से छुने लगे तो उसने रोकना चाहा उसके बाद आरोपी उसे किस करने की कोशिश करने लगे, उसने अपने हाथ से उन्हें रोका फिर भी आरोपी ने पीछे से उसकी कमर बुरी नियत से पकड़ी उसने आरोपी से कहा उसके साथ अश्लील हरकत मत करो, फिर वह वहां से अपने आपको बचाकर दौड़कर नीचे आई रोने लगी और घटना दीदी प्रिया चोपड़ा को बताई, फिर उसने अपने भाई अभिषेक को फोन लगाकर बुलाया और घटना बताई फिर घर जाकर मम्मी को बताई, फिर भाई अभिषेक और मम्मी को

साथ लेकर थाने आई है। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध थाने के अपराध क्रमांक 107/2016 दर्ज कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4- उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 354 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित करने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में प्रवेश कराये जाने पर अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया गया।

5- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या अभियुक्तों ने घटना दिनांक 13.05.2016 को दिन के 11:45 बजे शासकीय महाविद्यालय अंजड़ में अभियांत्रिकी की लज्जा भंग करने के आशय से उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किस करने का प्रयास कर, कमर पकड़कर यहां वहां हाथ लगाते हुए आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-‘अ’ पर सकारण निष्कर्ष -

6- उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्ता (अ.सा.1) ने कोई कथन नहीं किया गया है। अभियोक्ता ने केवल इतना कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। आरोपी उनकी कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करता है। एक वर्ष पूर्व दोपहर 12:00 बजे वह आरोपी के पास सी सी के प्रश्न लेने गई थी, तब आरोपी ने उसे डांट डपट दिया था, जिसकी उसने पुलिस थाना अंजड़ प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे पीछे से आकर बुरी नियत से पकड़कर छुने का प्रयास किया था और उसके साथ अश्लील हरकत की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अपने भाई को कॉलेज बुलाया था। इस साक्षी ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। फरियादिया ने स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

07- श्रीमती कृष्णा (अ.सा.2) ने भी उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं तथा अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित किये जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी पुत्री फरियादिया की लज्जा भंग की थी और उसने प्रदर्श पी 4 का कथन देने से भी इंकार किया है।

08- आर.एस. ठाकुर (अ.सा.3) का कथन है कि थाना अंजड़ के उक्त

अपराध में उपनिरीक्षक सूर्यवंशी द्वारा कार्यवाही करने के दौरान प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 का बनाया था, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 6 बनाया था, फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सूर्यवंशी बीमार होकर साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है।

09— फरियादिया स्वयं ने आरोपी द्वारा उसके साथ कोई अश्लील हरकत करने से स्पष्ट इंकार किया है। अभियोजन के मामले का खण्डन किया है तथा प्रकरण में राजीनामा भी पेश किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की स्वयं फरियादिया पक्ष विरोधी रहीं है और उसने अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354 के अपराध के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है तथा उससे राजीनामा होना स्वीकार किया है तो फरियादी स्वयं के कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध के लिये दोषषिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

10— अतः आरोपी कलीराम पिता सीताराम पाटील, उम्र 26 वर्ष, निवासी खड़की को भा.द.वि. की धारा 354 के अंतर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12— अभियुक्त के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए।

13— प्रकरण में जप्त सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.